प्राकृतिक संपदा का पुर्नजीवितिकरण

जल, जंगल और जमीन पर एक कार्यशाला

waimi

THE CLUB OF ROME

INDIAN NATIONAL ASSOCIATION

RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

लेखक– जीत सिंह, फैलो–पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं सस्टेनिबिलिटी,
आर0जी0आई0सी0एस0

सम्पदान एवं मूल्यांकन– विजय महाजन, निदेशक, आर0जी0आई0सी0एस0, नई दिल्ली

सहयोग एवं मार्गदर्शन–
श्रीमती उर्मिला शुक्ला (भा0प्र0से0), संचालिका, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), भोपाल
डा0 विशाल मैसी, क्लब ऑफ रोम, नई दिल्ली
श्री विवेक भट्ट, फैकल्टी मेंम्बर, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), भोपाल
प्रो0 सोमनाथ घोष, सीनियर विजिटिंग फैलो, आर0जी0आई0सी0एस0, नई दिल्ली
श्री दीनबंधु करमाकर, श्री आर0 सीनिवासन, श्री प्रत्यय जगन्नाथ, काबिल फाउण्डेशन,
नई दिल्ली

फोटो सहयोग–
श्री गोपी वाई0, एवं नामिक शेरपा, आर0जी0आई0सी0एस0, नई दिल्ली

हिन्दी अनुवाद–
डा0 डी0 एस0 पुण्डीर, देहरादून

विषय - वस्तु

1. पृष्ठभूमि : 05

2. जमीन का पुर्नजीवितीकरण : 08
   2.1 समूह चर्चा – मध्य प्रदेश के संदर्भ में जमीनों का पुर्नजीवितीकरण : 09

3. जल संसाधनों का पुर्नजीवितीकरण : 11
   3.1 समूह चर्चा – मध्य प्रदेश के संदर्भ में जल संसाधनों का पुर्नजीवितीकरण : 12

4. जंगल का पुर्नजीवितीकरण : 14
   4.1 समूह चर्चा – मध्य प्रदेश के संदर्भ में जंगलों का पुर्नजीवितीकरण : 15

5. पंचमुखी समवाय : 16

6. मध्यप्रदेश में जमीन, जल तथा जंगल के पुर्नजीवितिकरण हेतु अनुसंशायें : 20

प्राकृतिक संपदा का पुर्नजीवितिकरण

जल, जंगल और जमीन पर एक कार्यशाला

1. पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 9.5 प्रतिशत है तथा 3.08 लाख वर्ग किमी0 में फैला हुआ है, और देश की कुल जनसंख्या का 6 प्रतिशत भाग इस राज्य में निवास करता है। भारत के मध्य भू भाग का यह राज्य अनेक भौगोलिक, सामाजिक, पारस्थितिकीय, जलवायु एवं जनसांख्यकीय विविधताओं से भरा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप में इस भू भाग के उत्तर में गंगा यमुना का मैदान, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, पूरब में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में ताप्ती धाटी तथा माहाराष्ट्र का पठार स्थित है [1]। ऊबड़–खाबड़ जमीन, पर्वत श्रृखलाऐं, गहरी संकरी घाटियां, पठार और समतल मैदान इस प्रदेश की उच्चत्तर पारिस्थितिकीय विविधता दर्शाती है [2]।

प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31 प्रतिशत से भी अधिक भाग वन क्षेत्र है। राज्य में 9 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्य जीव अभ्यारण हैं, किन्तु फिर भी जल, जंगल एवं जमीन जैसी प्राकृतिक सम्पदा का निरंतर क्षरण हो रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव स्थानीय लोगों के जीवन और आजीविका पर साफ तौर से पड़ रहा है। जहां एक ओर राज्य का एक बड़ा हिस्सा जल संकट से जूझ रहा है वहीं दूसरी तरफ बड़ी तेजी से मिट्टी का क्षरण भी एक समस्या बनती जा रही है। पिछले कुछ दशकों से जंगलों की सघनता में लगातार गिरावट देखी जा रही है जो एक गम्भीर चेतावनी के रूप में सामने है।

राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान और दि क्लब आंफ रोम के भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन ने प्राकृतिक सम्पदा– जल, जंगल एवं जमीन के पुर्नजीवितीकरण पर जल एवं जमीन प्रबन्धन संस्थान, (वाल्मी) के साथ मिलकर भोपाल में 27 एवं 28 अगस्त 2019 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में जल, जंगल एवं जमीन के क्षरण के मुद्दों पर चर्चा की गयी और साथ ही मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के पुर्नजीवितीकरण पर नीतिगत सुझावों को सामने लाने का प्रयास किया गया।

27 अगस्त को कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में राज्य के तीन कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति रही और अपने संबोधन में उन्होंने माना कि कार्यशाला से प्राप्त निष्कर्षों को नीतियों में सुधार करने के लिए सुझावों के तौर पर लिया जायेगा। श्री जयबर्द्धन सिंह, प्रभारी मंत्री, शहरी विकास ने अपने संबोधन में उन सभी उपायों का उल्लेख किया जो

1: http://www.mp.gov.in/web/guest/state-profile
2: http://mpenvis.nic.in/index1.aspx?lid=269&mid=1&langid=1&linkid=209

प्रदेश के सभी शहरों में आसानी से पीने के पानी की ब्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा जब सरकार सभी के लिए पानी के अधिकार के लिए बाध्य होगी तो सभी हितधारकों को भी जल के संरक्षण–संबर्द्धन, पानी को प्रदूषण मुक्त रखना, प्रभावी जल वितरण, शहर के परम्परागत जल श्रोतों का पुर्नजीवितीकरण, स्लैब आधारित जल कर एवं प्रदूषण कानूनों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा।

श्री पी0 सी0 शर्मा, कैबनेट मंत्री, पब्लिक रिलेशन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल संकट निवारण के प्रति गम्भीर है और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सबके लिए पानी का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए रु 1000 करोड़ आवंटित करेगी, वह सभी प्राकृतिक संसाधनों के पुर्नजीवन के लिए भी काफी चिन्तित थे। उन्होंने कहा कि जन जातियां सदैव से जंगलों का संरक्षण करती आयी हैं, इस लिए राज्य सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जन जातियों का संरक्षण करेगी।

श्री कमलेश्वर पटेल, कैबनेट मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने कहा कि गलत प्रबन्धन की वजह से प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ है। हमें प्राकृतिक संसाधनों के पुर्नजीवितीकरण के लिए ज्यादा बेहत्तर प्रबन्धन की जरूरत है। इस दिशा में सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार राज्य में 32 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए बचनबद्ध है जिसके तहत इन नदियों के पूरे जलागम क्षेत्र में सभी प्राकृतिक संसाधनों का पुर्नजीवितीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह एक विशाल कार्य है जिसमें प्रत्येक पंचायत की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार पंचायत स्तर पर नियोजन कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। उन्होंने अपने भाषण को सम्पन्न करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के पुर्नजीवितीकरण के लिए सरकार के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए इस कार्यशाला के कार्यात्मक सुझाव महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश सरकार के इन तीनों मंत्रियों के ब्याख्यानों से जल, जंगल और जमीन, तीनों प्राकृतिक संसाधनों की समेकित छवि प्रकट हुई है, और कैसे विभाग अपने विभागीय कार्यों को साझा कार्यो में तब्दील कर राज्य के सामान्य विकास को समाज के कमजोर बर्गों तक पहुंचाये यह भी परिल्क्षित हुआ।

उद्घाटन के अवसर पर राज्य सरकार के तीनों मंत्रियों के भाषण के अलावा कार्यशाला में तकनीकी सत्र, समूह चर्चा एवं पैनल चर्चा सम्मिलित रहीं। पहले दिन वाल्मी की निदेशक सुश्री उर्मिला शुक्ला, आइ0ए0एस0 ने कार्यशाला का परिचय देते हुए इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्र में शहरी जल संसाधनः चुनौती एवं उपाय पर डां0 अशोक खोसला, ग्रामीण जल संसाधनः चुनौती एवं उपाय पर श्री विजय महाजन, और मध्य भारत की लघु आर्थिकी पर श्री किरित पारीख ने अपने ब्याख्यान दिये। इसके अतिरिक्त श्री के0 एन0 परमार, सचिव खनन, मध्य प्रदेश सरकार, ले0 ज0 अरूण कुमार शाहनी, ले0 ज0 बलबीर सिंह संधू, और श्री अभिलास खण्डेलकर ने जल, जंगल,

जमीन के पुर्नजीवितीकरण के अनेक मुद्दों पर कार्यशाला को संबोधित किया।

ले0 ज0 बलबीर सिंह संधू ने कहा कि सेना युद्ध और शान्ति दोनों स्थितियों में देश की सुरक्षा करती हैं। सेना ने अपने बृहद छावनी परिसर, जो कि ऐसे ही बंजर पड़े थे में पेड़ पौधे लगाकर हरियाली से आच्छादित कर लिये हैं। यह तभी सम्भव हुआ जब सेना के जवान और अधिकारी इस कार्य में युद्ध स्तर से जुटे रहे। इसी प्रकार से वाल्मी की निदेशक सुश्री उर्मिला शुक्ला ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने भोपाल स्थित परिसर में प्राकृतिक संपदा को पुर्नजीवित किया। उन्होंने आगे कहा कि वाल्मी ने निर्णय लिया है कि वह अन्य संगठनों के साथ मिलकर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी प्राकृतिक संपदा को पुर्नजीवित करने के लिए कार्य करेंगे। कार्यशाला के पहले दिन के दूसरे भाग में प्रतिभागियों को जल, जंगल एवं जमीन के नाम से तीन समूहों में विभक्त किया गया ताकि वे आज की चर्चा से उभरे मुद्दों को और विस्तार से सावधानी पूर्वक विचार–विमर्ष कर सकें।

कार्यशाला के दूसरे दिन की शुरूआत, पहले दिन में समूहों के बीच हुई चर्चा के प्रस्तुतिकरण से हुई जिनमें संसाधनों के पुनर्जीवित करने के मुद्दों और वे माध्यम जिनसे उन्हें पुर्नजीवित किया जा सकता को महत्व दिया गया था। कार्यशाला के अन्तिम सत्र का नेतृत्व एक पैनल द्वारा किया गया जिसमें सुश्री उर्मिला शुक्ला, श्री विजय महाजन, श्री संदीप खनवालकर, प्रो0 सोमनाथ घोष, श्री आमोद खन्ना और श्री टी0 कपूर सामिल थे।

श्री विजय महाजन ने पंचमुखी समवाय को स्पष्ट करते हुए इसे समूह द्वारा प्रस्तुत किये गये मुद्दों से जोड़ा और उन्होंने इस ढांचे को कार्य योजना के लिए उपयोगी बताया। दूसरे पैनल सदस्यों ने पंचमुखी समवाय और भविष्य की कार्ययोजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यह रिर्पोट, तीन प्राकृतिक सम्पदाओं जल, जंगल, और जमीन तथा पंचमुखी समवाय के इर्द–गिर्द हुई, चर्चा और विचार–विमर्ष का संक्षेप दस्तावेज है।

2. जमीन का पुर्नजीवितीकरण

प्रदेश में जमीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का एक बड़ा योगदान है। राज्य में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जिनमें मुख्य रूप से सभी प्रमुख फसलों जैसे– गेहूँ, चावल, सोयाबीन, दाल, कपास, ज्वार, बाजरा आदि का उत्पादन होता है। ये जलवायु क्षेत्र हैं– छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, कैमूर पठार, मध्य नर्मदा घाटी, विन्ध्य पठार, गरिड क्षेत्र, बन्देलखण्ड, सतपुड़ा, मालवा, निमार एवं झाबुआ। मालवा का पठार सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। तत्पश्चात कैमूर तथा विन्ध्य हैं। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में मिक्स लाल व काली मिट्टी, उत्तरी क्षेत्र में नदियों द्वारा लायी गयी मिट्टी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में छिछली और मध्यम मिट्टी, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में छिछली और गहरी काली मिट्टी है [3]। राज्य में वर्षा का औसत 80 से 150 से0मी0 है।

मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र

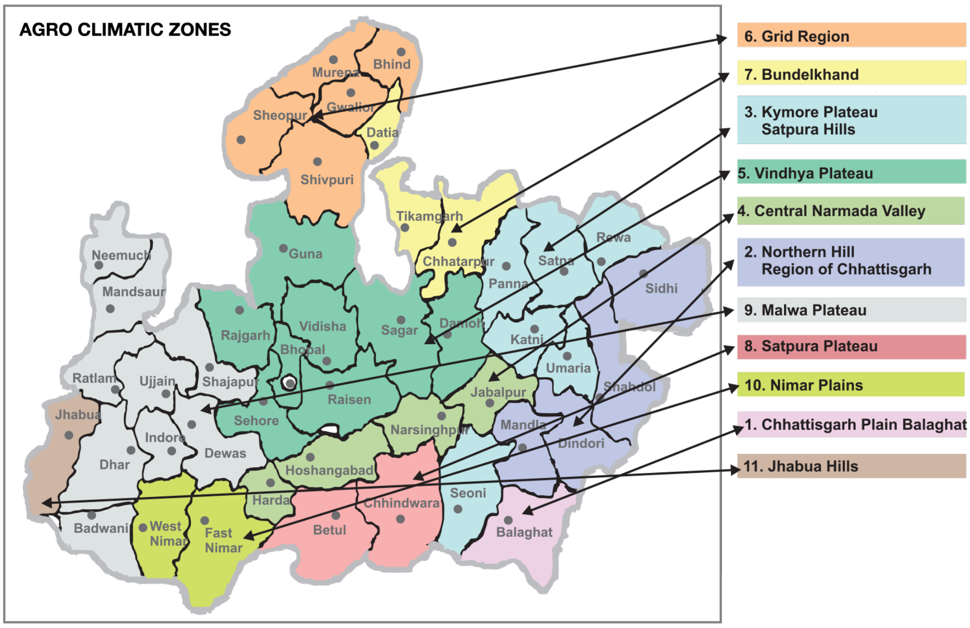

राज्य की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यद्यपि राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में इसका न्यूतम योगदान है [4]। इसके ठीक विपरीत राज्य की आधी से भी अधिक आवादी कृषि पर निर्भर है। कृषि राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कुल एक चौथाई जोड़ती है। जमीन संसाधन राज्य में कमोवेश अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग और जीएम फसलों से जमीनों का क्षरण, जमीनों का दुष्प्रयोज्य और अनुपयोगी होना, मिट्टी कटाव, मिट्टी की उत्पादक क्षमता में कमी आना, सूखा एवं जलवायु परिर्वतन प्रमुख हैं।

एक हालिया शोध में पाया गया कि चिरस्थायी कृषि के सन्दर्भ में मध्यप्रदेश ने द्वितीय दर्जे का प्रदर्षन किया है। रिर्पोट ने भूमि क्षरण, भूमि जल में गिरावट/कमी, असुरक्षित कुवें और फसलचक्र की विविधता में संकुचन से राज्य को चेताया है [5]। दूसरी तरफ इसरो ने बताया कि राज्य में वर्ष 2003–05 से वर्ष 2011–2013 तक कुल 32,462 है0

3: http://jnkvv.org/PDF/AERC/Study-112.pdf
4: https://www.in.undp.org/content/dam/india/docs/madhyapradesh_factsheet.pdf

जमीन का क्षरण हुआ है [6]। प्रदेश में भूमि क्षरण के मुख्य कारक वनस्पति और पानी का क्षय होना है।

मध्य प्रदेश में जमीन का मरूस्थलीकरण/क्षरण

जमीन के मरूस्थलीकरण/ क्षरण की प्रक्रिया	2011–13		2003–05		बदलाव
	क्षे0 है0 में	क्षे0 प्रतिशत में	क्षे0 है0 में	क्षे0 प्रतिशत में	क्षेत्र है0 में
वनस्पति क्षरण	2523801	8.19	2514983	8.16	8818
पानी क्षरण	1125418	3.65	1120221	3.63	5197
जल भराव	7788	0.03	7788	0.03	0
बंजर/पथरीली	31495	0.10	30457	0.10	1037
मानव कृत	19454	0.06	16024	0.05	3430
बस्ती उपनिवेशन	96359	0.31	82379	0.27	13980
मरूस्थलीकरण क्षेत्र	3804315	12.34	3771853	12.21	32462
स्पष्ट तौर से भूमि क्षरण नहीं	26502030	85.98	26648676	86.45	146646
कुल भौगोलिक क्षेत्र	30825200				

मध्यप्रदेश पिछले कुछ वर्षों में कृषि भूमि के संकट को लेकर बार–बार किसानों के आक्रोश का साक्षी रहा है। इन्सटीट्यूड ऑफ गुड गवर्नेन्स एण्ड पॉलिसी एनालेसिस, मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में कृषि भूमि के संकट पर एक अध्ययन किया जिसमें राज्य के किसानों की अशान्ति के विभिन्न कारणों को प्रकट किया गया है। प्रशासनिक मुद्दों के अतिरिक्त फसल बीमा और कीमतों में उतार–चढ़ाव संकट के प्रमुख कारण हैं। अध्ययन ने जमीन क्षरण, जलवायु परिर्वतन के विपरीत प्रभाव और मिट्टी की उत्पादकता में कमी के चिन्ह/संकेत किये हैं [7]।

2.1 समूह चर्चा – मध्यप्रदेश में जमीन पुर्नजीवितीकरण

जमीन संसाधन पर विस्तार से समूह चर्चा को रिटार्यड सचिव श्री तिलक राज कपूर ने बखूबी नियमन किया। इस समूह चर्चा में राजस्व और जमीन संसाधन अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, नागरिक समाज संगठन, सामुदायिक कार्यकर्ता और नीति अनुसंधान संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। समूह में प्रतिभागियों ने संदर्भित कानून शासन व्यवस्था एवं भूमि क्षरण पर चर्चा की तथा समूह ने पाया कि अधिकांश कानून ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं जिनका मकसद केवल और केवल नियंत्रण करना था। इसी प्रकार आज के संदर्भ भले ही बदल गये हों किन्तु

5: Veluguri, Divya, Ramanjaneyulu G, and Lindsay Jaacks, 219, 'State wise report cards on ecological sustainability of agriculture in India', Economic and Political Weekly, Vol. LIV No. 26&27, June 29, 2019.

6: https://www.sac.gov.in/SACSITE/Desertification_Atlas_2016_SAC_ISRO.pdf , ISRO, 2016, 'Desertification and land degradation atlas of India', Space Application Centre, Indian Space Research Organization, Government of India.

7: http://www.aiggpa.mp.gov.in/images/files/pdf/Agriculture%20Distress%20and%20Farmers'%20Unrest%20in%20 Madhya%20Pradesh%20 An%20Exploratory%20Study.pdf, Govindraj Dr. Anitha, 2018, Agriculture Distress and Farmer's Unrest in Madhya Pradesh', Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, Gov of Madhya Pradesh.

कानून कमोवेश वही हैं। इसी लिए यथाशीघ्र इन कानूनों की, क्रियान्वित किये जाने के दृष्टिकोण से समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे ही पिछले कुछ दशकों में जमीन के विवाद भी लगातार बढे हैं, किन्तु इन विवादों को सुलझाने के लिए हमारी व्यवस्था परंपरागत तरीके से ही काम कर रही है और लेट लतीफी से घिरी हुई है। यथा तकनीकियों जैसे आइ टी, का इस्तेमाल एवं सम्बन्धित सत्ता/अधिकारी की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किये जाने का पुरजोर सुझाव हैं। समूह ने विस्तार से जमीन अभिलेखों पर भी चर्चा की और पाया कि जमीनों के वर्तमान श्रेणीकरण की व्यवस्था बर्गीकरण पर आधारित है। इसकी समीक्षा भी विवरण, भविष्यवाणी एवं कार्यवाही सूचना आधारित हो, जो सभी निर्णय लेने वाली व्यवस्थाओं के लिए सहायक हो। राज्य ने जमीनों के कुछ दस्तावेजों को कम्प्यूटरीकृत कर जी.आइ.एस. मंच पर लाने का प्रयास किया है। किन्तु हमें इस दिशा में काम करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि किस प्रकार से त्वरित सेवा गतिमान की जा सके। मध्य प्रदेश में जमीन के अभिलेखों को बड़ी मात्रा में कम्प्यूटरीकृत किया गया है किन्तु दाखले को भी कम्प्यूटरीकृत किये जाने के शीघ्र प्रयास होने चाहिए। आगे के प्रयासों को जमीन के दाखले, अभिलेखों पर डिजिटल हस्ताक्षर, नक्शों का डिजिटलाइजेशन, आंकड़ों का सत्यापन, लिंकिंग और समयबद्व अपडेट तथा सर्वेक्षण मानचित्र पर ध्यान केन्द्रित करने की है।

वर्तमान भूमि उपयोग में विभिन्न संसाधनों को समेकित किये जाने के अवसर अनुपस्थिति हैं। अतः अवसरों को बढाये जाने की जरूरत है। वर्तमान में संसाधनों पर निर्णय लिए जाने के लिए भी कोई स्पष्ट तरीका नहीं है, यहां संसाधनों की चिरंन्तरता के लिए दृढ़ता से सोचे जाने की जरूरत है। प्रदेश में कहीं–कहीं पर विशेष प्रकार की मिट्टी के क्षरण की दर बहुत ऊंची है और कुछ क्षेत्र भूमि जल के दोबारा पुर्नजीवन के लिए बहुत अच्छे हैं।

3. जल संसाधन का पुर्नजीवितीकरण

जल संसाधनों के संदर्भ में राज्य अनेक बड़ी नदी घाटियों, उप नदी घाटियों और जलागम क्षेत्रों के रूप में सौभाग्यशाली है। राज्य की अनेक नदियां जैसे केन, बेतवा और चम्बल उत्तर से बहकर यमुना में, सोन नदी गंगा में, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां पश्चिम से चलकर अरब सागर में और पेन्च नदी दक्षिण में गोदावरी से मिलती हैं। इन अधिकांश नदियों से वर्ष में कुल 81,719 एच0एम0 जल प्रवाह का अनुमान है जिसमें से 49,743 एच0एम0 पानी सिंचाई के काम में लाया जा सकता है [8]।

मध्य प्रदेश के अलग–अलग क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता 60 से 150 से0मी0 वर्षा जल पर निर्भर है। वर्षा अनिश्चित है किन्तु जलवायु परिर्वतन और मौसम में बदलाव की स्थितियों ने वर्ष में पानी की कमी और आवश्यकता से अधिक वर्षा के बीच अन्तर को बढ़ा दिया है। सामान्यतः प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग तुलनात्मक रूप से राज्य के अन्य भागों से कम वर्षा क्षेत्र का है। राज्य में तालाब और झीलें पानी के महत्वपूर्ण श्रोत हैं, ये श्रोत सतह के लगभग 30 प्रतिशत जल को अपने में समाहित करते हैं [9]। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में अनेक मीडिया रिर्पोट्स और अध्ययनों से यह पता चलता है कि बीते कुछ दशकों में तालाब और झीलें भारी मात्रा में अतिक्रमण का शिकार हुई हैं। नदियां– नर्मदा जिनमें सबसे बड़ी है अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। वर्ल्ड रिर्सोस इन्सटीट्यूट की ताजा रिर्पोट के अनुसार दुनिया की छः नदी घाटियों में से एक नर्मदा नदी घाटी आज गम्भीर संकट में है। 2018 में मध्य प्रदेश और गुजरात की अनेक जगहों पर पहली बार नर्मदा को सूखी देखा गया [10]। नर्मदा के अतिरिक्त राज्य की अनेक नदियां पूरी तरह से सूख गयी हैं। ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश सरकार ने एक रिर्पोट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि गर्मियों के आने से पहले ही राज्य में 40 से भी अधिक नदियां सूख गयी हैं जिसके चलते लगभग 4000 से भी अधिक गांव गर्मी से पहले ही सूखे की चपेट में हैं [11]। 2012 में सेन्टर फॉर साइन्स एण्ड इनवारामेण्ट द्वारा किये गये अध्ययन ने पाया कि राज्यों के अधिकांश शहरों में परम्परागत पानी के श्रोत, जिनमें मुख्य रूप से तालाब और झरने सीबर की निकासी से प्रदूषित हो गये हैं और अधिकांश शहर अब अपने पीने के पानी की आवश्यकताओं के लिए नर्मदा नदी पर निर्भर हो गये हैं [12]। स्थानीय श्रोतों की खतरनाक स्थिति होने के चलते उन्हें नकारा जा रहा है।

राज्य में भू जल, पीने और सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है औसत भू जल विकास लगभग 54 प्रतिशत के आस–पास है। राज्य में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां अनेक कारणों से भूमि जल का आवश्यकता से अधिक दोहन हुआ है

8: http://mpenvis.nic.in/index1.aspx?lid=1796&mid=1&langid=1&linkid=1312
9: file:///C:/Users/RGF/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ water%20sanitation%20 madhya%20pradesh%20policy%20(1).pdf
10: https://www.wri.org/blog/2018/04/its-not-just-cape-town-4-shrinking-reservoirs-watch
11: https://www.newsclick.in/close-4000-madhya-pradesh-villages-stare-acute-drought
12: https://www.cseindia.org/restore-your-lakes-and-ponds-augment-sewage-treatment-cse-suggests-to-madhyapradesh-4327

उज्जैन, टीकमगढ़, शाहजांपुर, रतलाम, नीमच्च, मन्दसौर, इन्दौर, देवास और आगर जैसे जिले अत्यधिक भूमि जल उपयोग हो जाने के कारण पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय संकट से घिरे हुए हैं। राज्य में वर्ष भर सिंचाई के लिए निकाले गये सम्पूर्ण भूमि जल 18.88 वी.सी.एम. में से 17.43 वी.सी.एम. का उपयोग किया जाता है [13]। हाल ही में प्रकाशित केन्द्रीय भूजल आयोग की वर्ष 2017 की अध्ययन रिर्पोट बताती है कि बहुत सारी जगहों पर भूमि जल के दूषित होने का स्तर काफी ऊंचा है रिर्पोट बताती है कि 30 प्रतिशत से भी अधिक कुंवे अनुमति से भी अधिक दूषित स्तर तक पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार साइनाइट, क्लोराइड, आयरन और फलोराइड दूषण के सम्बन्धित मुद्दे भी प्रकाश मे आये हैं [14]।

3.1 समूह चर्चाः मध्य प्रदेश में पानी संसाधन का पुर्नजीवितीकरण

कार्यशाला में जल, जंगल की अपेक्षा पानी संसाधन पर ज्यादा देर तक चर्चा चली। विस्तृत समूह चर्चा के अतिरिक्त श्री विजय महाजन एवं डॉ0 अशोक खोसला ने सत्र लिए। डॉ0 खोसला ने शहरों में पानी के संकट पर बताते हुए कहा कि वहां गरीब लोगों से सम्पन्न लोगों की अपेक्षा ज्यादा शुल्क वसूला जाता है। वह शहरों में पानी की उपलब्धता, अन्तर और असमानता को लेकर चिन्तित थे। उन्होंने प्रत्येक शहर में पानी की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए सैंकी डाईग्राम पद्वति को अपनाने का सुझाव दिया। यह अभ्यास समस्या के समाधान का एक कदम है। उन्होंने कहा कि शहरों में जल समस्या/संकट को संबोधित करने के लिए विभिन्न ऐजन्सियों और हितधारकों के

13: http://www.mpwrd.gov.in/documents/18/9ad06767-35c0-4e4f-867e-6f91a1d78500, CGWB, 2019, 'Dynamic Ground Water Resources of Madhya Pradesh-2017', Central Ground Water Board, Govt. of India, Jan, 2019

14: http://cgwb.gov.in/Regions/GW-year-Books/GWYB-%202016-17/M.P.pdf , CGWB, 2018, 'Ground Water Year Book- Madhya Pradesh (2016-17)', Central Ground Water Board, Govt. of India, January 2018.

बीच समन्वय एवं सद्भाव की प्रथम आवश्यकता है। सभी के लिए पानी को सुनिश्चित करने को लिए नियोजन में यह जरूर निर्धारित हो कि प्रत्येक समुदाय को पानी वितरण की लागत क्या होगी। इन लागतों में संचालन, देख भाल, अवसर और बाह्य– जिसमें दूषित जल जोखिम, लागत शामिल हों। इन लागतों को चिन्हित करने से सभी को खर्च कर सकने वाली कीमत पर पानी उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

श्री विजय महाजन ने अपना सम्बोधन ग्रामीण क्षेत्र में पानी के संकट पर केन्द्रित करते हुए पानी का उपयोग और क्षमता पर बताते हुए कहा कि भारत में कुल पानी का लगभग 80 प्रतिशत कृषि कार्यों में प्रयोग होता है लेकिन यह सकल घरेलू उत्पाद में केवल 14 प्रतिशत का योगदान करता है। पानी के रूप में इनपुट और योगदान के रूप में आउटपुट का यह सबसे बड़ा अन्तर है, और उच्चतर की अस्थायी आर्थिकी के पुनर्गठन की आवश्यकता है। सुझाव के तौर पर श्री महाजन ने कहा कि किसान को उसके द्वारा उपयोग किये गये पानी की एवज में पानी को आवश्यक रूप से संचय भी करना होगा। पानी के अधिकार की अवधारणा पर अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह तभी सम्भव है जब प्रत्येक व्यक्ति पानी के संरक्षण के लिए जिम्मेदार बनेगा। उन्होंने इस बात की पुरजोर वकालत की कि कृषिकरण की अवधारणा को फिर से सोचे जाने की आवश्यकता है। हम अनाज और अन्य खाद्य उत्पादों की खेती से भी आगे जायें, बहुत सारे लोग आज के दिन सोलर ऊर्जा की खेती कर रहे हैं। विशेष कर गुजरात में खेती के इतर जमीन पर यह कार्य किये जा रहे हैं। इसी प्रकार जंगलो के क्षेत्र में जन जातियां पेड़ आधारित अभिनव आजीविका कर सकती हैं।

जल संसाधन पर समूह प्रतिभागियों ने मध्य प्रदेश के जल संसाधनों पर काफी ब्यापक चर्चा की उन्होंने प्रदेश की वर्तमान स्थितियों का आंकलन करते हुए जल संरक्षण एवं नीतिगत सुधार के लिए सम्भावित कदम भी चिन्हित किये।

4. वन संसाधन का पुर्नजीवितीकरण

मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31 प्रतिशत भाग जंगल विभाग के अधीन आरक्षित वन के रूप में आता है। वास्तिविक रूप से कुल भौगोलिक क्षेत्र का जंगल आच्छादन 25.11 प्रतिशत है। हाल हीं की स्टेट आफ फॉरेस्ट रिर्पोट–2017 के अनुसार प्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्र 77,414 वर्ग कि0मी0 है। भारत के समस्त प्रदेशों में मध्यप्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्र सबसे जादा है लेकिन पिछले कुछ दशकों में राज्य में वनों की सघनता में कुछ कमीं आयी है। आज के दिन राज्य के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 43 प्रतिशत के आस–पास खुले जंगल के रूप में, 10 प्रतिशत चंदवा सघनता वन के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है [15]। वन आच्छादन की सघनता का वितरण पूरे प्रदेश में अनियंत्रित और असंगत है। बालाघाट, मंडला, ढिंडोरी, बेतूल, दिंओनीं, छिन्दवाड़ा, शाहडोल, हरदा, धेवपुर और सीधी कुछ ऐसे जिले हैं जो सघन वन क्षेत्र में आते हैं [16]।

मध्य प्रदेश में वनाच्छादन

वन के प्रकार	अभिलेखीकृत वन क्षेत्र में वनाच्छादन (वर्ग कि0मी0 में)	अभिलेखीकृत वन क्षेत्र से बाहर	कुल वनाच्छादित क्षेत्र
अति सघन वन	6149	414	6563
मध्यम सघन वन	30426	4145	34571
खुले वन	27904	8376	36280
कुल	64479	12935	77414

श्रोत– स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिर्पोट 2017

जंगल विभाग के अधीन कुल वन क्षेत्र का लगभग 18 प्रतिशत (16,989 वर्ग कि0मी0) को खुले जंगल के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। जिसमें 10 प्रतिशत से भी कम चंदवा सघनता है। विभाग के पास 64 प्रभागों में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव बिहार है। हाल हीं में, प्रदेश बाघों की पसंदीदा जगह होने के कारण केन्द्र सरकार ने प्रदेश को बाघ प्रदेश के रूप में चिन्हित किया है।

राज्य के जंगलों में अनेक प्रकार की इमारती और गैर इमारती उत्पादों का उत्पादन होता है। टीक और शाल दो मुख्य कीमती लकड़ी हैं जो यहां के जंगलों में बहुतायत मात्रा में पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त गैर इमारती वन उत्पाद भी जंगलों में उपलब्ध हैं इन उत्पादों में तेन्दुपत्ता, शाल बीज, कुल्लू गोंद, शहद, आंवले और लाख आदि प्रमुख हैं। राज्य की कुल आवादी में 27 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है जो अपनी आजिविका के लिए पूर्ण रूप से यहां के जंगलों पर निर्भर हैं। वन उत्पादों को एकत्र करना इनकी आय का मुख्य श्रोत है। भारत के 131 में से 11 कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं। यह विविधता प्रदेश को 50 प्रतिशत से भी अधिक जडी बूटियों का घर बनाता है। जिसका उपयोग फर्मा उद्योग में किया जाता है [17]।

15: http://fsi.nic.in/isfr2017/madhya-pradesh-isfr-2017.pdf , FSI, 2018, 'State of the Forest Report-2017', Forest Survey of India, Government of India.
16: http://mpenvis.nic.in/index1.aspx?lid=266&mid=1&langid=1&linkid=206
17: http://mpenvis.nic.in/index2.aspx?slid=599&sublinkid=387&langid=1&mid=1

4.1 समूह चर्चा – मध्यप्रदेश में वन संसाधन का पुर्नजीवितीकरण

वनों के पुर्नजीवितीकरण पर चर्चा के लिए और समूहों की अपेक्षा इस समूह में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग लिया। समूह शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, वनाधिकारी, वन प्रबन्धन संस्थान, नागरिक समाज संगठन, समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता, नीति बिचारक और सरकारी अधिकारियों के प्रतिधित्व वाले प्रतिभागियों से गठित किया गया। समूह ने मध्य प्रदेश में जंगल आधारित मुद्दों पर काफी गहराई से चर्चा की। समूह की मुख्य चिन्ता बाजार समर्थित वृक्षारोपण था जिसके तहत पेपर उद्योग के लिए यूकेलिपटस का बृहद रोपण हो रहा है। जंगल में बदलाव के लिए जंगल का मूल्यांकन, जंगल के प्रबन्धन में लोगों की सीमित भूमिका, जंगल विभाग और समुदाय के बीच विश्वास की कमी और राज्य में जंगलों का क्षरण आदि विषयों पर भी चर्चा हुई।

समूह ने अपने प्रस्तुतिकरण में, वनों के विदोहन हेतु विभिन्न कारणों को चिनिहित किया। इन कारणों में प्रमुख हैं– जैव विविधता में कमी, खनन के रूप में मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र की सेवाओं का भारी मात्रा में प्रभावित होना, भू उपयोग में बदलाव व जंगल उत्पादों का भारी मात्रा में दोहन का बढ़ना, अतिक्रमण में बृद्धि, जंगलों का कृषि फार्मों के लिए कटान आदि की प्रवृति से जंगलों का बेतहाशा दोहन हुआ है। समूह ने जंगलों में बढ़ोत्तरी के लिए निम्न सुझाव दिये हैं।

5. पंचमुखी समवाय

मानव विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण एक गम्भीर मुद्दा है। इतना ही नहीं आज जलवायु परिर्वतन, वैश्विक तापमान और असीमित आर्थिक बृद्धि से वे अपने क्षरण से भी अधिक अपने असतित्व के संकट से जूझ रहे हैं। कुछ दशक पहले की अपेक्षा आज मानव और पारिस्थितिकीय समस्याऐं ज्यादा जटिल हो गयी हैं। किन्तु जानकारीध्ज्ञान और तकनीकी के विकास से हासिल क्षमताओं ने जटिल मुद्दों को संवोधित किया है। कार्यशाला ने जमीनी सच्चाई, परिर्वतनों की पहचान, सरकार की भूमिका, पूंजी बाजार, अभिनव तकनीकी और पारिस्थितिकीय एवं मानवीय जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए पंचमुखी समवाय के कार्य ढ़ांचे की एक चिरस्थायी सामुदायिक विकास के रूप में चर्चा की है। इस विचार ने मानव को सम्पूर्ण पारिस्थितिकीय चक्र में अनेक रचनाकारों में से एक रचनाकार के रूप में पहचाना है।

अधिक प्रभावी परिणाम चाहने के लिए नियोजन का ढ़ांचा और सामुदायिक विकास प्रक्रिया की चहल कदमी खास औजार है। आवश्यक परिणामों को प्राप्त करने के लिए सरकार और संस्थानों ने अनेक विकास कार्य ढ़ांचे विकसित कर भारत में पिछले दो दशकों से भारी संख्या में प्रयोग किये हैं। डी.एफ.डी.आइ. द्वारा निर्मित चिरस्थाई आजीविका कार्य ढ़ांचा, संरचना और सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु काफी लोकब्यापी हुआ। इस कार्य ढ़ांचे ने पांच प्रकार की पूंजी को अपने से बांधे रखने का प्रयास किया है, जो मानवीय, सामाजिक, प्राकृतिक, शाररिक एवं वित्तीय है। यह कार्य ढ़ांचा वर्ष 2000 में विकसित किया गया था किन्तु तब से अन्तर्राष्ट्रीय शासन और उसकी प्राथमिकताओं में बहुत से परिर्वतन आये हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सरकार और उसकी भूमिका, पूंजी बाजार में परिर्वतन और अभिनवीकरण, लोगों की महत्वाकांक्षाओं, उनके ज्ञान के आधार और विशिष्ट विज्ञान तथा तकनीकी उन्नति से ब्यापक बदलाव, सभी क्षेत्र के संस्थानों में समस्याओं और विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए विशेषज्ञ एवं ब्यवसायिक मदद ली जाने लगी है। इसके अलावा हमारे आस–पास बहुत सारे बदलाव आये हैं जिनके कारण सामुदायिक विकास की दिशा में फिर से सोचने की आवश्यकता महसूस हुई है।

राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटम्परेरी स्टडीज (आर0जी0आई0सी0एस0) के निदेशक श्री विजय महाजन ने पंचमुखी समवाय की परिकल्पना को तैयार किया है जिस पर कार्यशाला में ब्यापकता से चर्चा हुई, पंचमुखी समवाय समुदाय को पंचभुज के केन्द्र में हस्तक्षेप लक्ष्य के रूप में रखता है, उद्देश्य यह है कि प्रकृति का दोहन किये बिना सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिर्वतन लाना है। इस मॉडल का विश्वास है कि प्राकृतिक संपदा के पुर्नर्जीवितीकरण और सामुदायिक बदलाव प्रक्रिया में उत्प्रेरक होगा। प्रकृति और मानव के बीच सह अस्तित्व को मजबूत करना तथा दूसरे प्राणियों और प्रकृति को समृद्व/फलने फूलने देना इस कार्य ढ़ाचे का मौलिक उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में इसका उद्देश्य प्रकृति से रचना नहीं बल्कि प्रकृति के साथ रचना है। पांच विभिन्न प्रकार के संस्थानों के आपसी और अर्थवान सहयोग से प्रगति के इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह पांच हिस्सेध्भागों, पंचभुज के पांच किनारों और पांच मुखों को बनायेंगे। यह पांच भाग है–ं 1. सरकार, 2. कारपोरेट, 3.नागरिक समाज संगठन, 4. पूंजी बाजार और 5. ज्ञान/विज्ञान संस्थान। इन पांच हिस्सों की सहयोगी क्रिया ही पंचमुखी समवाय है। वर्तमान संदर्भों में जब कभी भी सामुदायिक विकास हस्तक्षेप के लिए चिरस्थाई आजिविका का ढ़ांचा हमें दिया जायेगा तो पंचमुखी समवाय चिरस्थाई आजीविका के कार्य ढ़ाचे को क्रियान्वित करने के लिए हमें वास्तविक/ब्यहारिक ढांचा प्रदान करेगा।

पंचमुखी समवाय

किसी एक मात्र संस्थान को तीनों संसाधनों की मांग, जटिलता एवं ब्यवस्थापन की लागत को संचालित करना न केवल कठिन है बल्कि यह असम्भव भी है। यहां तक कि राज्य की विशालता और संसाधन भी अकेले ही कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर सकते हैं। पंचमुखी समवाय पांच प्रमुख हितधारकों को संसाधन प्रबन्धन के लिए आवश्यक आपसी मदद और क्रियाशीलता प्रदान करता है। सरकार, उसकी बजट आवंटन की शक्ति से विकास का प्रमुख खिलाड़ी है, साथ ही नीति निर्माण और क्रियान्वयन में उसकी भूमिका। बाजार उसकी मौलिक दिलचस्पी, भूमिका और क्षमता के अनुरूप वस्तु और सेवाओं को क्रय–बिक्रय और वितरण में तथा इसके अतिरिक्त मुख्य विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग करना।

नागरिक समाज संस्थान, गैर सरकारी संस्थाऐं (प्रतिबन्धित छोड) दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों हितधारक कोई अपवित्र गठबन्धन कर पूंजीबाद के घनिष्ट मित्र होने का प्रतीक न बन जांय। कम से कम वो गैर सरकारी संगठन जो इस काम के लिए बिठाए गये हैं और वे नागरिक समाज संस्थान के हिस्से है, वनवासियों को प्रेरित व संगठित कर सकते हैं, उनका काम कार्यनीति के नियम विकसित करना, आजीविका एवं पुर्नस्थापना के आयाम पर उन्हें प्रशिक्षित करना। इसके अतिरिक्त ज्ञान और जानकारी के संगठनधबिचारक, विश्व विद्यालय, अन्य शोध एवं नीति नियोजन इकाइयों की बड़े पैमाने पर कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन, बिचार निर्माण, सिद्वान्त और तकनीकी ज्ञान के लिए आवश्यक है।

आखीर में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक बड़ी धनराशि की जरूरत होगी। और कहा जा सकता है कि यह एक अकेले दान दाता की क्षमता नहीं होगी। इसके लिए मुख्य धारा की पूंजी और अन्य बहुस्तरीय ऐजेन्सी से

धनराशि की जरूरत है। मुख्य धारा की धनराशि को प्रभावित करने के लिए किसी परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता को सामने लाना होगा।

पंचमुखी समवाय समकालीन समस्या का एक सैद्धान्तिक उपाय नहीं है बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय समस्याओं को प्रभावी रूप से सम्बोधित करने का एक व्यवहारिक कार्य ढ़ाचा है, पर्यावरणीय चिरस्थाई प्रगति को सुलभ करने के लिए यह पांचों भाग संस्थागत और वित्तीय स्थाइत्व लायेंगे।

उदारीकरण के बाद वाले समय में सरकारों की भूमिका में बहुत सारे परिर्वतनों के कारण वित्तीय स्थाइत्व के लिए सरकारी सहायता (धनराशि) पर निर्भर रहना अच्छा विकल्प नहीं है। पूरी दुनिया के स्तर पर हम देख रहे हैं कि सरकारें अब केवल नियंत्रण की भूमिका में रहना चाहती हैं। और निरंन्तर समाज उत्थान के कार्यक्रमों को वित्तीय मदद करने से पीछे हट रहीं हैं। सरकारों ने वित्त पर नियंत्रण कर लिया है और पिछले कुछ दशकों में वित्त संचयन का काम लगातार कम हुआ है, ऐसे में कारपोरेट क्षेत्र, पूंजी बाजार और लोग स्वयं चिरस्थायी वित्तीय प्रगति के रास्ते ढूंढ रहे हैं। सरकार के साथ ही ज्ञानध्जानकारी के संस्थान, नागरिक समाज संगठन और शोध संस्थानों की यह क्षमता है कि वे संस्थागत चिरस्थाइत्व प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं व जटिलताओं को हल करने की क्षमता ठेठ परम्परागत सरकारी विभागों में नहीं है। हमें कार्यकुशलता में परम्परागत शासन माडल से आगे जाना होगाध्आगे सोचना होगा। पचमुखी समवाय का बिचार सामुदायिक विकास के प्रभावी माडल को सामने लाने में सहायक है। यहां प्रभावी शब्द सक्षम, समान और चिरस्थायी शब्दों का संयुक्त प्रतिनिधित्व कर रहा है। सक्षमता वह है जो न्यूनतम संसाधन और अधिकत्म परिणाम लाये। दूसरी तरफ समानता, बदलाव की प्रक्रिया में असफलता से निपटने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चिरस्थाइत्व के लिए तीन आयामों का मिलना जरूरी है, कहा जा सकता है कि किसी भी चिर स्थायी माड्यूल के लिए वित्तीय चिरस्थाइत्व, संस्थानिक चिरस्थाइत्व और पर्यावरणीय चिरस्थाइत्व आवश्यक हैं।

यह एक सामान्य समझ और धारणा है कि नीतियां पेपर पर अच्छी हैं, किन्तु उनका क्रियान्वयन बेकार है और आगे चलकर यह निम्न गुणवत्ता तथा लोगों के जीवन में परिर्वतन को निःशप्रभावी बनाता है। यह बांटी गयी समझ तब दरकिनार हो जाती है जब हमारे पास हमारे भले के लिए ज्ञान क्षमता और नियत सही होती है, किन्तु

ब्यवस्था इस ज्ञान, क्षमता और नियत को ऐसे बताता है कि क्रियान्वयन सही नहीं है। अब यही करना है कि चीजें सही होने लगे, मशीनरी क्रियाशील हो, असरकारी हो। पंचमुखी समवाय का मुख्य उद्देश्य ब्यवस्था को असरकारी बनाना हीं है। प्रमुखतः असरकारी की प्रक्रिया में चीजों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित है।

मध्य प्रदेश में पंचमुखी समवाय ढांचे का प्रयोग करने के लिए कार्यशाला में एक 13 सदसीय कमेटी का गठन विभिन्न क्षेत्रों के ब्यवसायिकधविशेषज्ञ ब्यक्तियों से मिलकर किया गया है जो आगे इस बात–चीतध्चर्चा को जारी रखेंगे। कमेटी के सदस्य निम्न लिखित हैं।

जल, जंगल, जमीन, पंचमुखी समवाय कमेटी

क्र0स0	नाम	संगठन एवं पता
1	श्री तिलक राज कपूर	सेवा निवृत सचिव, मध्य प्रदेश सरकार।
2	श्री आमोद खन्ना	निदेशक, टुवर्डस एक्शन एण्ड लर्निग, भोपाल।
3	श्री संदीप खनवालकर	डेवलपमैण्ट अल्टरनेटिव, नई दिल्ली।
4	सुश्री सुषमिता सिंघा	वाटर म्यूजियम, नई दिल्ली।
5	श्री अभिलाश खण्डेलकर	सम्पादक, दैनिक भास्कर।
6	श्री प्रसन्ना खेवारिया	सी0ई0ओ0, सृजन, नई दिल्ली।
7	सुश्री मोना दीक्षित एवं श्री जीत सिंह	राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटम्परेरी स्टडीज, नई दिल्ली।
8	डां0 विशाल मैसी	सी0ओ0ओ0ध्सचिव– भारतीय राष्ट्रीय ऐसोसिएशन फॉर क्लब ऑफ रोम
9	श्री आर0 पी0 सिंह	सेवा निवृत, आई0एफ0एस0, अधिकारी।
10	सुश्री मधु खेतान	प्रदान, नई दिल्ली।
11	डां0 मनीषा पाण्डे	डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, मध्य प्रदेश
12	श्री विवेक भट्ट	वाल्मी, भोपाल
13	बाणिज्य एवं वित्त क्षेत्र से जोड़ा जायेगा।	

कमेटी महीने में एक बार बैठक करेगी और मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित नीतिगत मुद्दों को चर्चा करने के साथ ही पंचमुखी समवाय पर चर्चा कर उसे आगे बढ़ाने के प्रयास करेगी। कमेटी श्री आमोद खन्ना द्वारा समन्वय की जायेगी। बैठकों के लिए वाल्मी ने अपने परिसर में आतिथ्य स्वीकार किया है। बैठक के अन्त में वाल्मी, क्लब ऑफ रोम, राजीव गांधी ंस्टीट्यूट ऑफ कंटम्परेरी स्टडीज और डेवलपमैण्ट अल्टरनेटिव सभी सहयोगी संस्थाओं ने पांच विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को और आगे सहयोग करने की सहमति दी जिसके तहत बुन्देलखण्ड में नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम, जैविक खेती, वन अधिकार कानून 2006 का क्रियान्वयन एवं आदिवासियों को फसलचक्र में परिर्वतन के लिए प्रेरित करना, युवा और रोजगार तथा शहरी प्रबन्धन प्रमुख हैं।

6. मध्यप्रदेश में जमीन, जल तथा जंगल के पुर्नजीवितिकरण हेतु अनुसंशायें

दो दिन की कार्यशाला में हुए विभिन्न चर्चाओं के बाद प्रदेश में जल, जंगल तथा जमीन के पुर्नजीवितिकरण हेतु प्रतिभागियों द्वारा निम्न अनुसंशायें दी गई।

6.1 जमीन पुर्नजीवितिकरण हेतु अनुसंशायें

संरक्षण एवं संसाधन चिरन्तरता संबंधी अनुसंशायें

6.1.1 किसान के लिए चिरस्थायी कृषि की प्रक्रिया और सम्पूर्ण जानकारी का अभाव मुख्य बाधा है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा को कम कर उत्पादन बढाया जा सकता है। जैविक खेती, हल शून्य जुताई और बाढ़ से फसलों की रक्षा किया जाना है।

6.1.2 जैविक खाद जमीन की सतह और अन्दर के पानी को कीट नाशकों के प्रयोग से कम दूषित करने में सहयोग करती है।

6.1.3 किसी कार्यविधि से यदि जमीन पर बुरा प्रभाव पड़ा है तो यह अनिवार्य होना चाहिए कि वर्ष में कम से कम दो बार प्रभावित जमीन को अच्छा बनाने के लिए कार्य हों।

6.1.4 उन्नत विधियों से बंजर जमीनों पर पौधरोपण परियोजनाओं में बढ़ोत्तरी की जानी है।

6.1.5 भूजल और मिट्टी को बांधे रखने की शक्ति में कमी से भूस्खलन में बृद्वि हो रही है जिसे रोका जाना है।

6.1.6 जमीन के क्षरण में हमलावर प्रजाति के पौधों का भी बड़ा योगदान है, और इन पौधों के नियंत्रण के बिना जमीन के पुर्नजीवितिकरण का कार्य अधूरा है।

नीति, संस्थागत एवं कार्यक्रम संबंधी अनुसंशायें

प्रवन्धन

6.1.7 सभी विभागों की जिम्मेदारी को मैनुवल में स्पष्ट तौर से परिभाषित होना चाहिए।

6.1.8 सामुदायिक जमीनों पर जनता के पारंपरिक हकों का सम्मान हो और जनता के सहयोग से उन जमीनों के पुर्नजीवितिकरण हेतु योजना तैयार की जाय

6.1.9 किसी भी प्रकार के हस्तक्षेपध्प्रयास में जन जागरूकता महत्वपूर्ण बिन्दु होना चाहिए।

6.1.10 सभी अभिलेख जी.आइ.एस आधारित हों और वह पब्लिक डोमिन में हों।

6.1.11 भूमि उपयोग की श्रेणी को बैधानिक रूप से परिभाषित करना होगा ताकि दूसरे संसाधनों के साथ सम्बद्धता के अवसर मिलें।

6.1.12 शहर विकास प्राधिकरण आवश्यक रूप से परिभाषित हों और उनमें किसी भी प्रकार से वृद्धि की इजाजत न हो, यदि विस्तार आवश्यक हो तो सहमति के आधार पर ही हो। यह सैटेलाइट नगरीकरण की अवधारणा पर उसी जमीन पर हो जो निम्न स्तरीय रूप में चिन्हित की गयी हों, विकास उच्च स्तरीय और नियोजित हो। सेटेलाइट नगरीकरण की सेवाओं का नियोजन ऐसा हो कि वह विकास के उच्चतम् शिखर को छुए।

6.1.13 एक बार नियमों की स्पष्टता स्थापित हो जाने के बाद भूमि उपयोग में बदलाव के लिए स्वीकृति लेना नियमों पर आधारित विकेन्द्रीकृत और मशीन परिचालित हो। नियमों के पालन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय हो ताकि निर्णय लेने में विभिन्न स्तरों पर आंकड़ों का सरलता से उपयोग सुनिश्चित हो सके। विकेन्द्रीकृत ऐजेन्सी के निर्णयों का पालन बाध्यकारी हो किन्तु उच्च अधिकारी इसे पुनः खुलवा सकते है,ं यदि निर्णय लेने में नियमों की अनदेखी की गयी हो। विकेन्द्रीकृत निर्णयों के लिए समय सीमा का पालन आवश्यक हो।

6.1.14 जब कभी भी केन्द्रीय स्तर से कानून बनाये जायें तो सेवाओं का आदान–प्रदान विकेन्द्रीकृत रूप से स्पष्ट जिम्मेदारियों के साथ हो।

संस्थागत

6.1.15 मानव संसाधनों के प्रशिक्षण का डिजाइन परम्परागत क्षमताओं पर आधारित है, और ऐसा कोई प्रयास नहीं है, जो संस्थागत क्षमता को वर्तमान ज्ञान और दक्षता के अनुरूप अपडेट कर सके।

6.1.16 ज्ञान को सम्पदा और जानकारी को प्रबन्धन बनाने की दिशा में ध्यान बहुत ही कमजोर है।

6.1.17 टीम निर्माण, उत्प्रेरण एवं उत्सुकता बढ़ाने की सोच ना के बराबर।

6.1.18 वर्तमान में कमोवेश सभी विभागों को सूचना, तकनीकी में सम्मिलित हो जाने का वक्त है। सभी कार्य विद्युतीकृत हो रहे हैं, किन्तु सरकारी विभागों में इसकी अनुपस्थिति है, सभी विभागों को अपने ढ़ांचे के पर्नगठन की शख्त आवश्यकता है।

6.1.19 सभी क्षेत्रों को तकनीकी रूप से दुरुस्त होने की आवश्यकता है।

वित्त संबंधी

6.1.20 सरकारें अनेक विकास कार्यों पर खर्च कर रहीं है और पहले भी खर्च किया गया है, किन्तु अब समय आ गया है कि प्रत्येक खर्च को ब्यापारिक रूप से किया जाना चाहिए और यह भी जरूरी है कि किसी भी खर्च की जाने वाली राशि से आय भी प्राप्त हो।

6.1.21 इस परिकल्पनाध्आइडिया को ब्रेनस्टार्मी सत्र और परिचर्चा श्रृंखलाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है।

नीतिगत

6.1.22 वर्तमान नीति में जमीन को संसाधन के रूप हम कैसे देख रहे हैं और यह भी देखने की आवश्यकता है कि यह नीति समेकित तथा चिरस्थायी संसाधन विकास के लिए जगह भी बनाती है या नहीं। एक बार नीति के अपडेट हो जाने पर विधायी ढ़ांचे को भी नई नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप अपडेट होना होगा।

6.2 जल संसाधन पुर्नजीवितिकरण हेतु अनुसंशायें

संरक्षण एवं चिरस्थाइत्व संबंधी

6.2.1 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप फसलों को प्रोत्साहित किया जाय। वहां एक ऐसी व्यवस्था हो जो प्रोत्साहन और हतोत्साहन दोनों ही करे ताकि प्रस्तावित फसलों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए किसान और सरकार दोनों को तकनीकी सहायता की जरूरत होगी।

6.2.2 खेती के तरीकों में विविधता लायी जाये जिसके लिए नई तकनीकी का अंगीकरण करना होगा जैसे कि ड्रिप सिंचाई।

6.2.3 प्रत्येक किसान की पानी उपयोग एवं संरक्षण को मापने के लिए बैलेन्स सीट बने।

6.2.4 क्षेत्र के हिसाब से जल संरक्षण के दिशा निर्देश तैयार किये जांय। जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक परिवारधनिवासी की जिम्मेदारी भी है, कि वह प्रर्याप्त रूप से जल संरक्षण में योगदान करे।

6.2.5 बोर वैल का निर्माण और संचालन प्रतिबन्धित हो जब तक कि कोई ऐसी प्रस्थिति पैदा न हो।

6.2.6 वित्त व्यवस्थापन के माध्यम से तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन और हतोत्साहन, रीसाइकलिंग, रीचार्ज एवं उपचार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

नीतियां, संस्थागत एवं कार्यक्रम

नीति

6.2.7 नीति दिशा निर्देषों के बजाय मापी जाने वाली क्रिया पर आधारित हो। यह कम से कम 30 प्रतिशत वर्षा जल को संरक्षित करने का लक्ष्य ले। शैक्षणिक संस्थान क्षेत्र विशेष में जल संसाधनो के अध्ययन को प्रोत्साहित करें। नीति में भौगोलिक बनावट की विविधता को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाये तथा कृषि और अन्य सम्बधित क्षेत्रों में पानी के सीमित उपयोग की आवश्यकता है।

6.2.8 केन्द्र सरकार ने भूजल के संदर्भ में एक माडल बिल विकसित किया है। अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकारें अपने यहां भूमिगत पानी की स्थितियों के अनुरूप बिल के पुनर्लेखन पर सोचें।

जल प्रबन्धन

6.2.9 जल और ढ़ांचागत निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बेहतर ताल मेल सुनिश्चित करना ताकि अच्छे परिणाम आ सकें

6.2.10 जल प्रबन्धन शासन में जन सहभागिता की आवश्यकता है। यह व्यवस्था में पारदर्षिता एवं जिम्मेदारी को स्थापित करने में सहायक होगा। वित्तीय संसाधनों को एकत्र करने में समुदाय एक मुख्य हित धारक के रूप में सम्मिलित हो सकता है।

6.2.11 सरकारी निजी विशाल भवनों के पास धूसर रंग वाले पानी का उपचार।

6.2.12 पानी के ढ़ाचे का अंकेक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पानी के उपयोग का। यह अंकेक्षण पानी के ढाचे का रख रखाव, क्षमता, समर्पण और जिम्मेदारी के लिए बेंचमार्क होगा।

6.2.13 पानी के चार्जेज तर्क संगत हों और स्लैब मीटरिंग व्यवस्था का परिचय कराया जाय। बोर वैल और डग वैल के निर्माण को कानून और नियमों के माध्यम से हतोत्साहित किया जाय।

6.2.14 झील और तालाबों के निर्माण से पहले पानी की गुणवत्ता को चिन्हित किया जाना आवश्यक है। नहीं तो यह सम्पूर्ण भूमि जल को प्रभावित कर सकता है।

6.2.15 प्रभावी नियोजन के लिए जल सम्बन्धी आंकड़े जैसे एकत्रीकरण, व्यवस्थापन और उपलब्धता एक बड़ी बाधा है, यहां यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी व्यवस्था हो जो विश्वसनीय आंकड़ों को आम जन के लिए उपलब्ध कराये।

6.2.16 प्रशासनिक और राजनैतिक प्रयासों से पानी के रिसाव और चोरी जो कि लागत को बढ़ाते हैं, को रोकने के ठोस प्रयास हों।

6.2.17 सरलता से भू जल उपलब्धता की लगातार गणना से भू जल उपयोग को नियंत्रित करना चाहिए।

6.2.18 पानी के सही नियंत्रित और स्थायी उपयोग के लिए बजट में उपभोगताओं को संवेदित करने का प्राविधान होना चाहिए

6.2.19 जल, जमीन तथा जंगल के बेहतर प्रबंधन हेतु दक्ष मानव संसाधन की भारी कमी है। स्किल इंडिया मिशन के तहत् राज्य में ग्रीन स्किल सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता है। इन सेंटरों में आई0टी0आई0 के समकक्ष डिप्लोमा ग्रीन स्किल में दी जानी चाहिए

जल संचयन

6.2.20 जलागम आधारित निकासी नियोजन

6.2.21 सभी क्षेत्रों के लिए जल संचयन आवश्यक हो और क्रियान्वयन में प्रोत्साहन तथा दण्ड की व्यवस्था हो।

6.2.22 जल संचयन सभी किसानों के लिए बाध्यकारी हो और पहाड़ तथा मैदानी क्षेत्रों के जमीन मालिकों को अलग– अलग जल संचय के लक्ष्य तय हों। जल संचय के प्रयास आवश्यक रूप से जलागम आधारित निकासी नियोजन का अनुकरण करें। फसलों के उत्पादन की कीमत गणना करते समय उसमें पानी की लागत को जोड़ा जाना चाहिए, तभी संसाधनों के उपयोग का एक वास्तिविक आंकलन होगा।

6.2.23 जल संरक्षण की पुरानी विधि, प्रारूप एवं ढांचों को आधुनिक करने के साथ ही जलवायु परिर्वतन से उपजी वर्तमान परिस्थितियों को समझना होगा।

6.2.24 नदियों को तरूण बनाने की वर्तमान परियोजनाओं को समुदाय की पूर्ण भागीदारी के साथ मिशन मोड में संचालित करना।

6.2.25 नदियों के प्राकृतिक प्रभाव के साथ छेड़–छाड़ को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

6.3 जंगल पुर्नजीवितीकरण हेतु अनुसंशायें

संरक्षण एवं चिरस्थाइत्व संबंधी
6.3.1 वन रहित वन भूमि को बिना किसी देरी के संरक्षितधपुर्नजीवित करने की आवश्यक्ता है। अधिकांश खनन जंगल क्षेत्र में स्थित है जो वन एवं खनन दोनों नीतियों से संचालित होते हैं यहां यह कमी रह जाती है कि किस सीमा तक दोनों संसाधनों का उपयोग उपभोक्ता कर सकता है।
6.3.2 जंगल के विकास के लिए कम से कम 40 प्रतिशत पानी को आरक्षित किया जाना चाहिए।
6.3.3 समेकित संरक्षण नियोजन के लिए जल, जंगल और जमीन तीनों की भागीदारी जरूरी है। संरक्षण में मिट्टी, कीट पतंग, वन्य जीब एवं इको सिस्टम सेवा सामिल है।
6.3.4 जंगल संरक्षण के लिए भारत में छोटे–छोटे किन्तु अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं जैसे, कल्यावाली और पोली जहां पर सामुदायिक संगठनों ने वन संरक्षण का अद्भुत कार्य किया है। कल्यावाली और पोली गांव ने समुदाय के स्वामित्व वाले वनों का पुर्नजीवितीकरण कर क्षेत्र में 40 प्रतिशत से भी अधिक जल उपलब्धता को बढ़ाया है।
6.3.5 पेड़ के अलावा जंगल के दूसरे आयाम जैसे, पक्षी, मिट्टी और कीट पतंग की ओर भी अपना ध्यान ले जाना होगा।
6.3.6 जंगल का पुर्नजीवितीकरण कम से कम में अधिक उत्पादन, प्रदूषण में कमी और क्षरण को रोकना, चिरस्थाई वन प्रबन्धन के लिए महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं।
6.3.7 समुदाय को वन संरक्षण में भागीदार बनाना होगा और जंगल से स्थानीय समुदाय की आजीविका को पहचानना होगा।
6.3.8 समुदाय के लिए वन उत्पादों को एकत्रित करने के लिए दिशा निर्देष विकसित किये जाने चाहिए, प्रसार के लिए सामुदायिक रेडियो क्षेत्र में बेहत्तर संचार के लिए उपयोगी हो सकता है।

नीति, संस्थागत एवं कार्यक्रम संबंधी
प्रबन्धन
6.3.9 जंगल के दो परस्पर विरोधी बिचार (संरक्षण रूचि की ओर रूझान और समुदाय रूचि की ओर रूझान) एक दूसरे से सम्बद्व नहीं हैं इन दोनों के मध्य सतत संवाद एवं बिचारों का आदान प्रदान, बेहत्तर एवं विवाद रहित नियोजन के लिए आवश्यक है।
6.3.10 नयी तकनीकी एवं बिचारों को अपनाकर वन प्रबन्धन को उन्नत बनाया जाना चाहिए, इनमें जल आधारित अनुश्रवण, बेहत्तर आर्थिक प्रतिफल के लिए स्थानीय उत्पादों का जिओ चिन्हीकरण, विषय विशेशज्ञों की प्रबन्धन में सहभागिता आदि प्रमुख हैं।
6.3.11 वनवासी समुदायों को संरक्षण (सुरक्षा और प्रबन्धन) में समान स्थानधअवसर प्रदान करना। समेकित सामुदायिक भागीदारी पर खास ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोग इसका लाभ ले सकें।
6.3.12 आमने सामने निरंन्तर संवाद और बैठकों के जरिये प्रयोग कर्ता, नीति निर्धारक एवं सरकारी विभागों के मध्य अविश्वास को कम किया जा सकता है।

6.3.13 ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संगठन, संयुक्त वन प्रबन्धन समिति, आर्थिक विकास जैसे संगठनों को शक्तियों एवं जिम्मेदारियों के विकेन्द्रीकरण से शसक्त करना।

वित्त

6.3.14 अतिरिक्त सरकारी धन चाहे महात्मा गांधी नरेगा या कैम्पा के कोष को जंगलात की क्षरित भूमि को ठीक करने में उपयोग किया जा सकता है।

6.3.15 न्यूनतम मूल्य को निर्धारित कर भुगतान डिजिटली हस्तान्तरित हो ताकि किसी प्रकार के वित्तीय शोषण को रोका जा सके।

6.3.16 नेट प्रजेण्ट वैल्युवेशन विधि को अपनाकर वन की आर्थिक वैल्युवेशन को समझा जा सके।

6.3.17 जंगल संसाधन के संरक्षण में निवेश करने के लिए कारपोरेट को प्रेरित किया जा सकता है।

नीति

6.3.18 पेशा और वन अधिकार एक्ट 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है यह दोनों कानून जंगल संरक्षण के लक्ष्य में समुदाय को साथ लाने वाले हैं।

6.3.19 कानून और नीतियों को समुदाय प्रतिनिधियों द्वारा पुनर्रीक्षित किया जाना चाहिए।

6.3.20 राष्ट्रीय वन नीति को क्रियान्वित किये जाने के लिए बेहत्तर उपायों को विकसित किये जाने की जरूरत है।

6.3.21 राज्य को अपना बृहद वन क्षेत्र एवं उसके प्रबन्धन को देखते हुए अपने खुद की वन नीति विकसित करनी चाहिए।

6.3.22 उन मुद्दों और बिन्दुओं को चिन्हित किये जाने की जरूरत है जो ओबर लैपिंग एवं विभिन्न एक्ट तथा कानूनों के बीच विवाद के हैं।

INDIAN NATIONAL ASSOCIATION

RAJIV GANDHI INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

RAJIV GANDHI INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

Jawahar Bhawan, Dr Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001 India

T 91 11 2331 2456, 2375 5117 / 118

E info@rgics.org | **W** www.rgics.org